

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर (राज.)


कमोंक: एलपोल/निस/महिला उत्पीडन/25/2120

दिनांक: 12-3-25

:: कार्यालय - आदेश :: (ऑशिक संशोधन)

श्रीमान निदेशक महोदय, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर के पत्र संख्या: प्राशिनि/महिला लैंगिक/ई-4/2015/4141-4145 दिनांक 25-2-2015 एवं 2164 दिनांक 04-3-25 की अनुपालना में कार्यालय स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के सम्बन्ध में वर्ष 2024-25 से (ऑशिक संशोधन कर) निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. श्रीमती मीरा मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता सिविल, राज.पॉलि.महा.अलवर | अध्यक्ष मोबाईल.नं. 9413819048 |
| 2. श्री अमित कुमार, प्रवक्ता विद्युत, राज. पॉलिटेक्निक महा. अलवर | सदस्य मोबाईल नं. 9610399812 |
| 3. श्रीमती सीमा चौधरी, प्रवक्ता कम्प्यूटर, राज.पॉलि.महा.अलवर | सदस्य मोबाईल.नं. 9664499451 |
| 4. श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता यंत्रिकी. राज.पॉलि.महा.अलवर | सदस्य मोबाईल.नं. 9468679028 |
| 5. श्री संजय शर्मा, समन्वयक,
माता श्री गौमती देवी जनसेवा निधि, 68, पंचवटी, अलवर | सदस्य मोबाईल.नं. 9214311966 |


प्रधानाचार्य

कमोंक: एलपोल/निस/महिला उत्पीडन/25/2121-27

दिनांक: 12-3-25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. सम्बन्धित श्रीमती मीरा मीणा व.प्र./श्री अमित कुमार, प्रवक्ता/श्रीमती सीमा चौधरी, प्रवक्ता/
श्रीमती प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता/श्री संजय शर्मा, समन्वयक, माता श्री गौमती देवी जनसेवा निधि, 68 पंचवटी, अलवर।
3. श्रीमती नजमा बानो, प्रवक्ता कम्प्यूटर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप संस्थान की वेबसाईट पर उक्त आदेश को अपलोड करें


प्रधानाचार्य